पत्रांक : /आयु0क0उत्तरा0/विधि–अनु0/वाणि0कर/विधि अनु0/2015–16/देहरादून। 1124 24/12/15

कार्यालयः–आयुक्त कर उत्तराखण्ड

(विधि–अनुभाग)

देहरादूनः दिनांकः 18 दिसम्बर, 2015

समस्त डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर,
समस्त असिस्टेण्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर,
समस्त वाणिज्य कर अधिकारी।

//परिपत्र//

मुख्यालय के पत्रांक 958/आयु0क0उत्तरा0/विधि–अनुभाग/वाणिज्य कर/ देहरादून/ 2008–09 दिनांक 20 जून, 2008 के द्वारा विभिन्न प्रार्थना पत्रों के निस्तारण हेतु समय सीमा निर्धारित करते हुये निर्देश दिये गये थे कि "विभागीय फार्मों के लिये 2 बजे तक प्राप्त प्रार्थना पत्रों का निस्तारण उसी दिन कर दिया जाए। जो प्रार्थना पत्र 2 बजे के बाद प्राप्त होते हैं, उनका निस्तारण अगले कार्यदिवस में 12 बजे तक कर लिया जाए। यदि कोई अधिकारी अपरिहार्य कारणों से कार्यालय में उपस्थित नहीं है, तो इसकी जानकारी लिंक अधिकारी को होनी चाहिए तथा आदेश लिंक अधिकारी द्वारा किये जायेंगे। कौन किसका लिंक अधिकारी होगा इस सम्बन्ध में आदेश ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर द्वारा कियें जायेंगे।"

मुख्यालय के संज्ञान में यह आया है कि विभागीय फार्मों हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्रों का निस्तारण निर्धारित समय–सीमा के अन्तर्गत नहीं करते हुये इस सम्बन्ध में अनावश्यक विलम्ब किया जा रहा है।

इस क्रम में समस्त कर निर्धारण अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि मुख्यालय के पत्रांक 958 दिनांक 20 जून, 2008 के द्वारा विभागीय फार्मों हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्रों के निस्तारण हेतु उपरोक्तानुसार दी गयी समय–सीमा का वर्तमान में विभागीय फार्मों हेतु ऑनलाइन अथवा अन्यथा प्राप्त प्रार्थना पत्रों के निस्तारण के सम्बन्ध में अनुसरण करना सुनिश्चित करेंगे। इसके अतिरिक्त यदि कोई अधिकारी अपरिहार्य कारणों से कार्यालय में उपस्थित नहीं है तो इसकी जानकारी लिंक अधिकारी को होनी चाहिए तथा तद्सम्बन्धी आदेश लिंक अधिकारी द्वारा किये जाने चाहिये। कौन किसका लिंक अधिकारी होगा इस सम्बन्ध में आदेश ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्यपालक/प्रवर्तन) द्वारा किया जायेगा।

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(दिलीप जावलकर)
आयुक्त कर,
उत्तराखण्ड।

पृ0प0सं0 4568/दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, देहरादून/हरिद्वार/काशीपुर/रुद्रपुर।

2– समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्य0/प्रव0) वाणिज्य कर, देहरादून/ऋषिकेश/हरिद्वार/रूड़की/काशीपुर/बाजपुर/रूद्रपुर/खटीमा को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे उक्त परिपत्र की अतिरिक्त प्रतियाँ कराकर अपने अधीनस्थ अधिकारियों/बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों/व्यापारी संगठनों के अध्यक्ष/सचिव को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

3– ज्वाइन्ट कमिश्नर (अपील) वाणिज्य कर, देहरादून/हल्द्वानी।

4– श्री अनुराग मिश्रा, डिप्टी कमिश्नर एवं Web-Information Officer को इस आशय से प्रेषित कि वे उक्त को वाणिज्य कर की वेबसाइट पर प्रसारित करने का कष्ट करें।

5– मुख्यालय के समस्त अनुभागों को।

6– विधि अनुभाग की गार्ड फाईल हेतु।

आयुक्त कर,
उत्तराखण्ड।